

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: श्री एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2777-दो/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 6-6-14 पारित
द्वारा अपर कलेक्टर, जिला कटनी म०प्र० प्रकरण क्रमांक 44/बी-121/2013-14.

हुन्दराम मोहनानी आत्मज श्री लीलाराम मोहनानी
निवासी मालवीय गंज कटनी
तहसील व जिला कटनी म.प्र.

— आवेदक

विरुद्ध

- 1— मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी
2— मुहम्मद रज्जाक वल्द शेख अब्दुल (मृतक)
निवासी ग्राम पड़रवारा, तहसील एवं
जिला कटनी म.प्र.

— अनावेदकगण

श्री ए० के० गौतम, अधिवक्ता, आवेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक ३१ - ४ - २०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 44/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-14 से परिवेदित होकर म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पड़रवार प.ह. नं. 44 रा.नि.मं. पहाड़ी तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिशल बंदोवस्त 1987-88 की प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की मिशल बंदोवस्त के आधार पर अपर कलेक्टर को सूची पेश कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पड़रवार प.ह. नं. 44 स्थित भूमि ख. नं. 568 रक्बा 0.43 हैक्टर भूमि बंदोवस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक क्रमांक 2 मोहम्मद रज्जाक के नाम दर्ज है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि को संहिता की धारा 165 (7-ख) के

तहत बिना अनुमति के अंतरण किया जाना मानते हुए भूमि म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए । अपर कलेक्टर के इस आदेश से व्यक्ति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर का आदेश अवैध एवं अनुचित है । आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों को अपना पक्ष रखने तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा भूमि क्य विक्य के संबंध में संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने संबंधी अनुमति नहीं ली गई है क्योंकि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 मृतक मुहम्मद रज्जाक से भूमि क्य नहीं की है बल्कि मनोहरलाल नाम के व्यक्ति से दिनांक 5-5-1999 को भूमि क्य की गई है । मनोहरलाल द्वारा उक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 मृतक रज्जाक के वारिसों से 1-8-1998 को पंजीकृत विकायपत्र से क्य की गई थी । जिस समय मनोहरलाल द्वारा भूमि क्य की गई उस समय विकेता का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित था तथा भूमि अहस्तांतरणीय है इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं था । भूमि क्य के उपरांत केताओं का विधिवत नामांतरण राजस्व अधिकारियों द्वारा क्य किया गया । उक्त तथ्यों को अपर कलेक्टर ने पूरी तरह अनदेखा किया गया है । प्रथम बार विक्य सक्षम अधिकारी की अनुमति से हुआ था या नहीं इस तथ्य की भी कोई जांच नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने प्रथम विक्य के 16 वर्ष उपरांत पटवारी प्रतिवेदन पर कार्यवाही की है जो न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट 26, 2005 आर.एन. 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन. 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखने योग्य नहीं है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

3/ अनावेदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पटवारी रिपोर्ट पर से प्रारंभ हुआ है जिसके आधार पर अपर कलेक्टर ने यह मानकर कि प्रश्नाधीन भूमि बंदोवस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक कमांक 2 मृतक रज्जाक वल्द शेख अब्दुल के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है और वर्तमान अभिलेख में उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा उक्त भूमि के क्य विक्य के संबंध में संहिता की धारा 165 (7-ख) के

तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है अंतरण को शून्य मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई है। इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भूमि अनावेदक कमांक मृतक रज्जाक से क्य नहीं की गई है बल्कि रज्जाक के उत्तराधिकारियों द्वारा दिनांक 1-8-98 को भूमि का विक्य मनोहरलाल को पंजीकृत विक्यपत्र द्वारा किया गया है और मनोहरलाल द्वारा पंजीकृत विक्यपत्र से भूमि दिनांक 5-5-1999 को आवेदक को विक्य किया गया है। भूमि क्य करने के उपरांत तत्समय केताओं के नामांतरण पंजीकृत विक्यपत्र के आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है। प्रकरण में जो पटवारी प्रतिवेदन है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्य किन-किन वर्षों में और किस-किस व्यक्ति को किया गया है जबकि उक्ताशय की जानकारी राजस्व अभिलेखों के आधार पर पटवारी को रहती है। अपर कलेक्टर द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना तथा साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। प्रथम विक्य जब वर्ष 1998 में हुआ उस समय सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई या नहीं इसकी कोई जांच अपर कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है तथा प्रथम विक्य के 16 वर्ष उपरांत कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट 26, 2005 आर.एन. 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन. 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्र0क0 44/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-14 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें।



(एम० क० सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर